बिहार विशेष चकबंदी विधेयक का प्रारूप

चूँकि बिहार होल्डिंग चकबंदी एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 राज्य में जोतों की चकबंदी के प्रचालन क्रियान्वित करने का वैधानिक आधार प्रदान करता है तथा इसके प्रवृत होने के बाद से प्राप्त अनुभवों के आलोक में राज्य में नये ढर्रे पर चकबंदी प्रचालन क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ।

चूँकि पूर्वोक्त अधिनियम के तहत चकबंदी प्रचालनों के क्रियान्यवन में काफी अधिक समय लगा, एवं अपेक्षाकृत संक्षेपीकृत समय सीमा में पूर्वोक्त प्रचालनों के क्रियान्वयन लोकहित में है ।

चूँकि राज्य के कुछ भागों में पूर्वोक्त अधिनियम के तहत चकबंदी प्रचालन क्रियान्वयन किये गये तथा कुछ भागों में ऐसा क्रियान्वयन नहीं हो सका ।

चूँकि 1992 में राज्य में चकबंदी प्रचालन स्थगित कर दिये गये तथा 2004 में पुराने शाहाबाद के 56 नये अंचलों में तथा गोपालगंज के एक अंचल में चकबंदी प्रचालन पुनः प्रारंभ किये गये ।

चूँकि पूर्वोक्त सीमित प्रचालनों के क्रियान्वयन का एक कारण चकबंदी योजना में मूल रूप से पदस्थापित अधिकांश कर्मियों का योजना स्थगित होने के बाद अन्यत्र समायोजन था ;

चूँकि 1992 से 2004 की लम्बी अवधि में चकबंदी के संबंध में राज्य में अनिश्चय की स्थिति बनी रही ;

चूँकि पूरे राज्य में चकबंदी प्रचालनों के क्रियान्वयन के लिये वांछित मात्रा में कार्यबल सम्प्रति उपलब्ध नहीं रहने के कारण वर्त्तमान व्यवस्था के तहत पूरे राज्य को चकबंदी प्रचालनों से एक साथ आच्छादित करने की अवधि विनिश्चित करना कठिन है ;

चूँकि विगत अनुभवों के आलोक में ऐसा विदित होता है कि चकबंदी प्रचालनों के दौरान कतिपय क्षेत्रों में पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों, विहित प्रक्रियाओं एवं प्रयोजनों का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किया जा सका तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता में जागरूकता का सृजन तथा उनका उन्मुखीकरण नहीं किया जा सका तथा विधि एवं जानकारी के अभाव में ऐसे लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो सका ;

पूर्वोक्त अधिकार अभिलेख में समाविष्ट विभिन्न भू–खण्डों के खतियान तथा मानचित्र रकवा का मिलान करते हुये यथावश्यक मानचित्र के रकवा को भूमि पंजी में प्राथमिकता नहीं दी गई तथा तद्नुसार भू–खंड विशेष का खतियानी रकवा एवं मानचित्र के रकवा में अंतर रह गया ;

चूँकि कतिपय क्षेत्रों में पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन सही ढंगों से नहीं हुआ – उदाहरणार्थ, मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई , भूमि पंजी का निर्माण करते समय सर्वे से प्राप्त खतियान एवं नक्शा की समीक्षा नहीं हुई जिसके फलस्वरूप क्षेत्रफल का अंतर चकबंदी में भी जारी रह गया, चक निर्माण में गड़बड़ियां हुई , उड़ान चक निर्मित किये गये अर्थात जिस खंड में सबसे बड़ा भू–खंड था उसे वहां पर न देकर दूसरे खंड में दे दिया गया, चक के अनुसार दखल–दहानी मात्र कागज पर रह गई इत्यादि ;

चूँकि 1970 से 92 के बीच क्रियान्वित चकबंदी प्रचालनों के बाद एक लम्बी अवधि बीत चुकी है एवं इस दरम्यान क्षेत्रीय धरातल पर किये गये अंतरणों, उत्तराधिकार, भूमि के स्वरूप, सिंचाई आदि की स्थिति, दखल की स्थिति के आलोक में चकबंदी के अधिकार अभिलेखों का अद्यतनीकरण/नये सिरे से निर्माण लोकहित में है ;

तथा चूँकि बिहार विषेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम 24/2011) के तहत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से आच्छादित मौजों में चकबंदी के प्रचालन क्रियान्वित किये जाना है । चकबंदी के प्रचालन को क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ** –(1) इस विधेयक का नाम बिहार विशेष चकबंदी विधेयक, 2012 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में हैं।

(3) यह ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत होगा जो बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषाएँ :– इस विधेयक में, जबतक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :–**

(1) ''कृषि–वर्ष'' से अभिप्रेत है अप्रील के प्रथम दिन से प्रारम्भ होनेवाला वर्ष ;

(2) ''चकबंदी पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक के अधीन, चकबंदी पदाधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त किया गया हो और वह राजपत्रित पंक्ति का पदाधिकारी होगा ;

(2–क) ''सहायक चकबंदी पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा, इस विधेयक के अधीन सहायक चकबंदी पदाधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए नियुक्त किया गया हो, और जो कानूनगो से निम्न पंक्ति का पदाधिकारी न हो ;

(3) ''चकबंदी'' के अन्तर्गत किसी जोत या विभिन्न जोतों में समाविष्ट ऐसे भू–खण्डों की ऐसी जोत या जोतों को अधिक संहत (कम्पैक्ट) बनाने के प्रयोजनार्थ की गयी पुनर्व्यवस्था भी आती है ;

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे :–

(i) ऐसी भूमि, जो उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कृषि–वर्ष में बाग–बगीचा रही हो, जिस वर्ष में धारा 3 के अधीन अधिसूचना निर्गत हुई थी,,

(ii) नदी–क्रिया और गहन–भूमि कटाव से ग्रस्त भूमि,

(iii) ऐसे भूमि जो सामान्यतया बहुत समय तक जलाक्रान्त हो,

(iv) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबंदी निदेशक चकबंदी के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त घोषित करें,

(3–क) ''चक'' से अभिप्रेत है भूमि का ऐसा हरेक खण्ड जो चकबंदी के बाद रैयत को आवंटित किया गया हो,

(3–ख) ''आयतीकरण'' से अभिप्रेत है चकबंदी के दौरान चको का आवंटन विनियमित करने के उद्देश्य से किसी युनिट के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के आयतों या आयत के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया,

(4) ''चकबंदी निदेशक'' से अभिप्रेत है, इस विधेयक या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन, चकबंदी निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति, और इसके अन्तर्गत अपर–चकबंदी निदेशक और संयुक्त निदेशक भी होंगे ,

(4–क) ''उप चकबंदी निदेशक'' से अभिप्रेत अपर समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति का ऐसा पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार ने, चकबंदी निदेशक की उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए, जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किये जाय, इस रूप में नियुक्त किया हो और उसके अन्तर्गत सहायक चकबंदी निदेशक भी होगा,

(4–ख) ''सहायक चकबंदी निदेशक'' से अभिप्रेत है, उप समाहर्ता से अन्यून पंक्ति का ऐसा पदाधिकारी, उसे राज्य सरकार ने इस विधेयक या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सहायक चकबंदी निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए इस रूप में नियुक्त किया हो,

(5) ''खंड'' से अभिप्रेत है निम्नलिखित से कम क्षेत्रफल की भूमि का टुकड़ा :–

(क) तोड़ सिंचाई निर्माण, नलकूप या उद्‌वह सिंचाई द्वारा सिंचित एक एकड़ भूमि,

(ख) असिंचित भूमि का दो एकड़,

(ग) पहाड़ी या बलुआही भूमि का चार एकड़ :

परन्तु कोई भी भूमि का टुकड़ा गंगाश्किस्त द्वारा उसके क्षेत्रफल में कमी होने के चलते खण्ड नहीं समझा जायेगा,

(6) ''ग्राम पंचायत'' से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 का (बिहार अधिनियम 6, 2006) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत,

(7) ''जोत'' से अभिप्रेत है किसी रैयत द्वारा धारित एक या कई भू–खण्ड और जो पृथक काश्तकारी के विषयवस्तु हो,

(8) ''भूमि'' से अभिप्रेत है कृषि भूमि और इसके अन्तर्गत उद्यान–कृषि भूमि, खार–पर भूमि, बंसवारी भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, बास भूमि, तालाब, कुएं एवं जलसरणियां आती है,

(9) ''भूमिहीन श्रमिक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि या कृषि–श्रम हो और कोई भूमि धारण नहीं करता हो या उतने क्षेत्र से अधिक भूमि धारण नहीं करता हो जितना विहित किया जाय,

(10) ''अधिसूचित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके बारे में धारा 3 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय,

(11) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस विधेयक के अधीन बने नियमों द्वारा विहित,

(12) ''लोक प्रयोजन'' के अन्तर्गत ग्राम या ग्रामों की किसी सामान्य आवश्यकता, सुविधा या लाभ संबंधी प्रयोजन आता है,

(13) ''रैयत'' से मुख्यतः वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े के सेवकों द्वारा या भागीदारों की सहायता से खेती करने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, और इसके अन्तर्गत उस व्यक्ति के हित उत्तराधिकारी भी आते हैं, जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो।

(14) ''स्कीम'' से अभिप्रेत है, जोत की चकबंदी की स्कीम,

(15) ''ईकाई'' से अभिप्रेत है, कोई ग्राम, ग्राम का भाग और, जहाँ चकबंदी निदेशक शासकीय राजपत्र में प्रकाशन द्वारा इस प्रकार अधिसूचित करें वहाँ, ऐसे दो या दो से अधिक ग्राम जिनके लिए एक ही चकबंदी स्कीम तैयार करनी है,

(16) इस विधेयक में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी पदों और अभिव्यक्तियों के :–

(i) किसी ऐसे क्षेत्र में लागू होने पर, जहाँ बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 (1885 का 8) प्रवृत हो वहाँ वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिये गये है,

3. राज्य सरकार द्वारा, जोतों की चकबंदी का स्कीम बनाने के आशय की घोषणा –

(1) किसी क्षेत्र की भूमि में अच्छी खेती के प्रयोजनार्थ जोतों के चकबंदी को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, शासकीय

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र में जोतों के चकबंदी के लिए योजना बनाने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) अधिसूचना का सार, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट ग्रामों में डुग्गी पिटवाकर आख्यापित किया जायगा और अधिसूचनाओं की प्रतियाँ सभी ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में, यदि कोई हो, पुलिस थानों में, अंचल अधिकारियों के कार्यालयों में और ऐसे क्षेत्रों में कर–संग्रहण के लिए राज्य सरकार की ग्राम कचहरियों में लटका दी जायगी।

धारा 4 :– **चकबंदी प्रचालनों का पुर्नगठन :–** सरकार अधिसूचना के द्वारा बिहार होल्डिंग चकबंदी तथा खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 के तहत क्रियान्वित एंव क्रियान्वित किये जा रहे चकबंदी प्रचालनों का पुर्नगठन कर सकेगी एवं यथावश्यक इस विधेयक के प्रावधानों के तहत चकबंदी प्रचालनों का क्रियान्वयन प्रारंभ कर सकेगी ।

परंतु बिहार होल्डिंग चकबंदी तथा खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत क्रियान्वित तथा क्रियान्वित किये जा रहे प्रचालन अवैध नहीं समझे जायेंगे ।

धारा 5 :– **बिना मंजूरी के अंतरण पर प्रतिबंध :–**

(1) धारा 9(1) के अधीन भूमिपंजी तथा सिद्धान्त विवरण के प्रकाशन की तिथि के बाद कोई भी व्यक्ति चकबंदी पदाधिकारी की अनुमति जो यथाविहित रीति से दी जायेगी के बिना अधिसूचित क्षेत्र में बिक्री, दान, विनिमय या विभाजन के द्वारा किसी भूमि का अंतरण नहीं करेगा।

(2) निम्नांकित स्थितियों में उप धारा (1) के तहत उपबंधित अनुमति नहीं दी जायेगी।

(i) विहित प्रपत्र में अपेक्षित विशिष्टियों सहित, आवेदन पत्र दायर नहीं किया गया है।

(ii) अंतरण या विभाजन से कार्यवाही एवं प्रतिफल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो।

(iii) अंतरण या विभाजन इस विधेयक के किसी उपबंध के अथवा चकबंदी के अधिसूचित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत किसी काश्तकारी अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल हो।

(iv) यदि अंतरण के पश्चात् अन्तरीति द्वारा धारित भूमि का कुल जमीन का क्षेत्रफल उस अधिकतम सीमा से भी अधिक हो जाता हो जो उस समय उस अधिसूचित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत किसी विधि के प्रावधानों के तहत अनुमान्य नहीं हो।

(v) उप धारा (1) के अधीन चकबंदी पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के 15 दिनों के भीतर उप निदेशक, चकबंदी के न्यायालय में अपील कर

सकेगा। ऐसी अपील, अपील दायर होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विहित रीति से निपटाई जायेगी।

धारा 6 :– **ग्रामसभा के साथ परामर्श :–** सहायक चकबंदी पदाधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी संबंधित राजस्व मौजा की बहुसंख्यक खाताधारी जिस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत अवस्थित हो, उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के साथ निम्नांकित प्रयोजनों के लिये परामर्श करेंगे :–

(i) धारा 7 के तहत भूमि पंजी तैयार करते समय कृषि भूमि तथा कृषि भूमि के अंतर्गत पड़ने वाले संरचना कुंआ, तालाब एवं वृक्ष आदि का मूल्यांकन करना ।

(ii) धारा 8 के तहत सिद्धांतों का विवरण तैयार करना ।

(iii) धारा 10 के तहत चकबंदी योजना का प्रारूप तैयार करना,

(iv) धारा 14 के तहत सम्पुष्ट चक भू–खंडों पर दखल–दहानी का कार्यक्रम नियत करना ।

(v) धारा 22 के तहत खड़ी फसल/वृक्ष आदि के लिये प्रतिपूर्त्ति राशि का निर्धारण करना ।

धारा – 7 . भूमि पंजी का निर्माण :–

(1) जिस किसी मौजा में बिहार विषेष सर्वेक्षण एंव बंदोबस्त अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं हुआ है अथवा अंतिम प्रकाशन के बाद की अवधि दस वर्षों से अधिक हो गई हो वहाँ बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम प्रावधानों के तहत प्रक्रम पूरे कराये जायेंगे ।

परन्तुक 2 जब कभी राज्य के किसी भाग में, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत आधुनिक प्रावैधिकी से किस्तवार तत्काल सम्भव नहीं है,

और

जहाँ चकबंदी के प्रचालन प्रारम्भ हो चुके हैं या प्रारम्भ होने हैं, पारम्परिक विधियों में किस्तवार संचालित करना चकबंदी प्राधिकार के लिए विधिसम्मत होगा।

तथापि, नील मानचित्र निर्माण से आगे अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक के प्रचालन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित करना चकबंदी प्राधिकार के लिए अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरण :– यदि आधुनिक प्रावैधिकी के द्वारा तैयार किए गए मानचित्र उपलब्ध होते हैं, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के प्रयोजन से चकबंदी प्राधिकार उनका उपयोग कर सकता है।

(2) बिहार विशेष सर्वेक्षण एंव बंदोबस्त अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत अंतिम प्रकाशित अधिकार अभिलेख के आधार पर किसी मौजा में भूमि पंजी एवं नक्शा का निर्माण किया जायेगा ।

परंतु, पूर्वोक्त अधिकार अभिलेख में समाविष्ट विभिन्न भू–खंडों के खतियानी तथा मानचित्र रकवा का मिलान करते हुये यथावश्यक मानचित्र के रकवा को भूमि पंजी में प्राथमिकता दी जायेगी तथा तद्नुसार भू–खंड विशेष का बिहार विशेष सर्वेक्षण विधेयक के तहत खतियानी रकवा संशोधित समझा जायेगा ।

(3) भूमि पंजी यथा विहित प्रपत्र में तैयार की जायेगी जिसमें उपधारा (1) में उपबंधित अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के अतिरिक्त विभिन्न भू–खंडों पर अवस्थित संरचना, खड़ी फसल, बाँसबाड़ी, सिंचाई के साधन आदि के साथ ही भू–खंड का मूल्यांकन अंकित रहेगा ।

(4) भूमि पंजी में प्रत्येक भू–खंड की उत्पादकता, अवस्थिति एवं सिंचाई सुविधा यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात उसका यथा विहित रीति से मानक मूल्य विनिश्चित किया जायेगा ।

धारा– 8 – सिद्वांत विवरण का निर्माण :–

(1) सहायक चकबंदी पदाधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी यथा विहित रीति से एक विवरण (जिसे सिद्वांत विवरण कहा जायेगा) तैयार करेगा जिसमें सबंधित मौजा में चकबंदी प्रचालन क्रियान्वित करने के सिद्वांतों का उल्लेख रहेगा ।

(2) सिद्वांत विवरण में किसी अन्य तथ्य के अतिरिक्त निम्नांकित तथ्य भी अंकित रहेंगे :–

(I) चक योजना के अंतर्गत महादलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति तथा सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों के लिये वास स्थल का कर्णांकन (सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में)

(II) चक योजना के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये कर्णांकन (सरकारी भूमि मालिक/आम भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में)।

धारा– 9 **भूमि पंजी एंव सिद्धांत विवरण का प्रकाशन :–**

(1) धारा 7 के अधीन निर्मित भूमि पंजी तथा धारा 8 के अधीन निर्मित सिद्धांत विवरणी का प्रकाशन किया जायेगा । इस प्रकाशन की अवधि 30 दिनों की रहेगी ।

(2) पूर्वोक्त प्रकाशन की अवधि की अंतिम तिथि से 30 दिनों के अंदर कोई भी हित सम्बद्ध रैयत, सहायक चकबदी पदाधिकारी/ चकबंदी पदाधिकारी के समक्ष भूमि पंजी एंव सिद्धांत विवरण की प्रविष्टियों के संबंध में आपत्ति दायर कर सकेगा ।

(3) भूमि पंजी एवं सिद्धान्त विवरणी के प्रविष्टियों के संबंध में जिस आपत्ति का प्रयोजन प्रविष्टि में सुधार हो परन्तु संबंधित पक्षकारों में कोई विवाद नहीं हो, वैसे मामलों का निष्पादन सहायक चकबंदी पदाधिकारी अपने स्तर से कर सकेंगे।

जिन आपत्तियों में विवाद हो उसका निष्पादन चकबंदी पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि या अन्य किसी प्रकार की सरकारी भूमि के संबंध में राज्य की ओर से कोई आपत्ति दायर की जा सकेगी, जिसका निष्पादन चकबंदी पदाधिकारी करेंगे।

(i) गैरमजरूआ आम भूमि के संबंध में संबंधी ग्राम पंचायत के मुखिया आपत्ति दायर कर सकेंगे, जिसका निष्पादन चकबंदी पदाधिकारी कर सकेंगे।

(ii) सहायक चकबंदी पदाधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी आपत्ति का निराकरण आपत्ति दायर होने के तीस दिनों के अन्दर आदेश पारित करेगा।

(4) पूर्वोक्त आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर आदेश से व्यथित पक्षकार उप निदेशक, चकबंदी के न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसका विधिवत निष्पादन अपील दायर करने की तिथि से 45 दिनों के अंदर आदेश पारित किया जायेगा ।

(5) इस धारा के प्रावधानों के तहत विहित समय सीमा में आपत्ति दायर नहीं किये जाने की स्थिति में पुनः अपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

(6) इस धारा के तहत जहाँ प्रयुज्य हो अभिनिर्णित मामलों में पारित आदेषों के आलोक में भूमि पंजी तथा सिद्धांत विवरणों में यथावश्यक अभिनिर्णित संशोधन किये जायेंगे ।

धारा – 10 :– चक योजना प्रारूप का तैयारी एवं प्रकाशन :–

(1) चकबंदी पदाधिकारी/सहायक चकबंदी पदाधिकारी के स्तर से चकयोजना प्रारूप का निर्माण यथा विहित रीति से किया जायेगा ।

(2) चक योजना प्रारूप में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त हित सम्बद्व रैयतों के भू–खंडों का मूल्यांकन, संबंधित मौजा का यथावश्यक खंड (Sector) में विभाजन जो रैयत किसी खंड विशेष में अपनी जोतों का सबसे बड़ा भाग धारित करता हो यथा संभव उसी खंड में उसके चक का आवंटन , यथासंभव वहीं प्लाट जिसपर उनका निजी सिंचाई के साधन श्रोत या कोई अन्य सुधार कार्य विद्यमान हो उसके समीप में उसके द्वारा मूलतः धारित प्लाटों के मूल्यांकन के बराबर क्षेत्र आवंटन, यथा संभव आयतीकरण प्रक्रिया के अनुरूप आयताकार यूनिटों में चक आवंटन, किसी भी रैयत को यथा संभव तीन से अनअधिक चकों का आवंटन ।

(3) उक्त उप धारा 2 के अधीन तैयार किये गये चक योजना प्रारूप का यथा विहित रीति से प्रकाशन किया जायेगा । यह प्रकाशन 30 दिनों की अवधि तक प्रकाशित रहेगा ।

(4) पूर्वोक्त प्रकाशन अवधि की अंतिम तिथि से 30 दिनों के अंदर सहायक चकबंदी पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है। जिसका निष्पादन चकबंदी पदाधिकारी द्वारा विहित रीति से किया जायेगा तथा आपत्ति प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के अंदर विधिवत निष्पादित करते हुये आदेश पारित किया जायेगा। चकबंदी पदाधिकारी के स्तर से स्थल जाँच की जायेगी ।

(5) उपधारा 4 में पारित आदेश के विरूद्व आदेश की तिथि से 30 दिनों कें अंदर उप निदेशक, चकबंदी के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी । जिसका विधिवत निष्पादन अपील दायर होने के 45 दिनों के अंदर आदेश पारित किया जायेगा।

धारा – 11 विशेष परिस्थितियों में चक योजना प्रारूप का पुनरीक्षण :–

यदि किसी अधिसूचित मौजा के पचास प्रतिशत से अधिक रैयत धारा 10(1)(2)(3) के तहत निर्मित एवं प्रकाशित चक योजना प्रारूप पर उप निदेशक, चकबंदी के न्यायालय में कारणों का उल्लेख करते हुए आपत्ति दायर करते हैं तो सुनवाई, अभिलेखों की जाँच एवं स्थलीय जाँच के उपरान्त उप निदेशक, चकबंदी चक प्रारूप के पुनर्निर्माण का तर्क सम्मत आदेश पारित कर सकते हैं।

धारा – 12 चक योजना प्रारूप का सम्पुष्टि :–

(1) धारा 10(1) के प्रावधानों के अधीन तैयार की गई चक योजना की सम्पुष्टि उप निदेशक चकबंदी के द्वारा यथा विहित रीति से की जायेगी ।

(2) जहाँ धारा 10 (4) के तहत विनिर्दिष्ट समय–सीमा में आपत्तियां नहीं दायर की गई हो, अथवा दायर की गई आपत्तियों का धारा 10 (4) (5) के तहत निष्पादन हो चुका हो, उस राजस्व मौजा की चक प्रारूप योजना का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा तथा इसे जिला राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम प्रकाशित चक योजना की प्रतियाँ समाहरणालय, अंचल कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय तथा संबंधित मौजा के शिविर कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी ।

(3) समाहर्त्ता अपने जिले के किसी राजस्व मौजा की चक योजना की अधिसूचना के प्रकाशन की संक्षिप्त जानकारी जिला जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा तथा Website के माध्यम से सर्व साधारण को उपलब्ध करायेंगे ।

धारा – 13 चक योजना के अनुरूप सबंधित मौजा में जोतों का पुनर्मापन करते हुये पुनर्गठन किया जायेगा ।

धारा– 14 चक योजना के अनुसार दखल–दहानी :–

(1) धारा 12 (2) के तहत चक योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद चकबंदी पदाधिकारी संबंधित राजस्व मौजा में विहित रीति से उस तिथि को निर्धारित एवं अधिसूचित करेंगे जिसके प्रभाव से चक योजना प्रवृत होगी ।

(2) उस तिथि को तथा उसके बाद से संबंधित रैयत अपने आवंटित भू–खंड पर दखल के हकदार हो जायेगा ।

(3) आवंटित भू–खंड पर अवस्थित संरचना, कुआँ, बाँस सहित किसी वृक्ष, बोरिंग, खड़ी फसल आदि के उचित मूल्य का भुगतान विहित रीति से पूर्व रैयत को करने के लिये दायी होगा ।

(4) दखल–दहानी के प्रक्रम के दौरान ही चक योजना के उद्‌भूत खतियान का संबंधित रैयतों के बीच वितरण किया जायेगा ।

(5) चकबंदी के पश्चात रैयतों का दखल सहित अधिकार आवंटित भूमि में वहीं होगा जो उसे मूल जोत में था ।

धारा– 16 स्वैच्छिक चकबंदी :–

(1) संबंधित ग्राम के रैयतों के द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई चकबंदी योजना को उप निदेशक, चकबंदी मान्यता दे सकेगा, यदि वे संतुष्ट हों कि वह योजना इस विधेयक

में उपबंधित चकबंदी के मूलभूत प्रयोजनों के अनुरूप है, उसे सभी संबंधित रैयतों का समर्थन प्राप्त है, तथा वह अन्यथा भी सभी संबंधित लोगों के लिए उचित है।

(2) उप धारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त चकबंदी योजना इस विधेयक के प्रावधानों के अधीन तैयार और सम्पुष्ट की गई समझी जायेगी तथा उसके अधीन प्रवृतित की जायेगी।

धारा– 17 निदेशक /संयुक्त निदेशक की रिविजन की शक्तियाँ :–

(1) धारा 10 की उप धारा 5 में पारित आदेश के विरूद्व 30 दिनों के अंदर रिविजन वाद निदेशक/संयुक्त निदशक के न्यायालय में दायर किया जा सकेगा ।

(2) यदि किसी हित सम्बद्ध रैयत नें धारा 10 की उप धारा (4) (5) के अंतर्गत वाद दायर नहीं किया है तो वह प्रत्यक्षतः निदेशक/संयुक्त निदेशक के न्यायालय में वाद दायर कर सकेगा ।

(3) उप धारा (1) तथा (2) के तहत राज्य की ओर से भी रिविजन वाद दायर कर सकता है।

(4) धारा 12(2) के तहत जिला राजपत्र में अधिसूचित चक योजना तबतक यथावत मानी जायेगी जबतक उसकी प्रविष्टियों की शुद्धता या वैधता के संबंध में रिविजन वाद/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई प्रतिकूल अभिनिर्णय नहीं होता है ।

(5) रिविजन वाद/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अभिनिर्णय एवं आदेश के आलोक में धारा 12 के तहत अधिसूचित चक योजना में यथावश्यक संशोधन किये जायेंगे ।

धारा–18 निम्न न्यायालयों के अधिकारों का वर्जन :–

धारा 12 के तहत जिला राजपत्र में चक योजना की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद चकबंदी पदाधिकारी/उप निदशक चकबंदी के न्यायालय में चक योजना के संबंध में किसी वाद/विविध वाद के तहत दावा या आपत्ति दायर नहीं की जा सकेगी ।

धारा– 19 ऋण भार का अंतरण :–

(1) भूमि पंजी में शामिल किसी भू–खंड के विरूद्व उसके रैयत पर लीज, बंधक या अन्य कोई ऋण भार हो तो वह उस रैयत के चक योजना में सम्मिलित भू–खंड पर ऋण भार के आनुपातिक रूप से अंतरित हो जायेगा ।

(2) ऋण भार से मुक्त न होने की स्थिति में ऋणी रैयत के चक भू–खंड पर आनुपातिक रूप से ऋण दाता सक्षम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के तहत हक एवं दखल प्राप्त कर सकेगा।

धारा– 20 चकबंदी योजना के क्रियान्वयन के लिये लिखत का अनावश्यक होना :–

चक योजना के क्रियान्वित करने के सिलसिले में भू–खंडों के बदलाव/अंतरण के लिये किसी लिखत की आवश्यकता नहीं है ।

धारा– 21 सम्पुष्ट योजना को अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की मान्यता :–

धारा 14 के अन्तर्गत रैयतों को हस्तांतरण प्रमाण–पत्र देने के बाद धारा 12 के अन्तर्गत सम्पुष्ट योजना तत्समय प्रवृत विधि के अधीन बनाया गया तथा अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख समझा जायेगा।

धारा– 22 राशि का भुगतान :–

(1) जहाँ धारा 14 के अन्तर्गत चक का कब्जा उस पर या उसके किसी भाग पर खड़ी फसल के साथ दी जानी है और खड़ी फसल के विषय में संबंधित पक्षकारों यानि उस भूमि के नये और पुराने रैयतों के बीच कोई समझौता न हो तो सहायक चकबंदी पदाधिकारी फसल के संबंध में देय राशि विहित रीति से निर्धारित करेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन आदेश से विक्षुब्ध व्यक्ति आदेश की तारीख से 15 दिनों के अन्दर चकबंदी पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

धारा– 23 राशि की वसूली :–

(1) इस विधेयक के अन्तर्गत कोई भी राशि जो किसी रैयत से वसूल की जानेवाली हो यदि उसके द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं दे दी जाती है तो यह व्यक्ति जिसे उक्त राशि देय है वसूली की अन्य रीतियों के अतिरिक्त विहित अवधि के अन्दर समाहर्ता के समक्ष वसूली के लिए आवेदन दे सकता है और समाहर्ता द्वारा यह राशि उसी प्रकार वसूली जायेगी जैसे सरकार को देय भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

(2) इस विधेयक के अनतर्गत यदि चक पर दखल पा जाने की तिथि से तीन महीने के अन्दर देय राशि पूर्णतः या आंशिक रूप में दे नहीं दी जाती है तो देय राशि पर 6 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष ब्याज (सूद) देय होगा।

धारा–24 चकबंदी कार्यवाही का समापन –

(1) किसी गाँव का नया नक्शा और अधिकार अभिलेख के बना लिये जाने तथा संबंधित चकबंदी योजना के अन्तर्गत रैयतों को अन्तरण प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रशासकीय गजट में यह अधिसूचना जारी करेगी जिसमें यह जिक्र रहेगा कि उस गाँव में चकबंदी संक्रियाओं का समापन (बंद) कर दिया गया है।

(2) उपधारा (1) की अधिसूचना निर्गत हो जाने के बावजूद भारतीय संविधान के अन्तर्गत दायर की गई याचिकाओं और वादों तथा उपधारा 24 (1) की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि को इस विधेयक के अन्तर्गत लंबित कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को यथाविहित प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए चकबंदी संक्रिया बंद की गई नहीं समझी जायेगी।

धारा–25 राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस प्रकार भूमि अर्जन नहीं किया जाना जिससे कोई खण्ड रह जाय :– किसी भी मौजा की जहाँ धारा 12 के अधीन चकबंदी योजना सम्पुष्ट कर दी गई हो, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा वहाँ की भूमि का इस प्रकार अर्जन नहीं किया जायेगा जिससे कोई खण्ड बन जाय।

धारा–26 खण्डों का अन्तरण :–

(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के होने पर भी यदि चकबंदी क्षेत्र में स्थित किसी भू–खण्ड का कोई भाग बिक्री, दान या विनिमय द्वारा अंतरित हो रहा हो तो वह केवल ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है जिसका कोई प्लॉट उपर्युक्त रीति से अंतरित होनेवाली भूमि से सटा हुआ हो, किसी अन्य को अन्तरित नहीं करेगा।

परन्तु यदि उक्त अंतरण पूरे खण्ड का हो रहा है तो वह किसी भी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (1935 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सोसाइटी अथवा, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5, 1970) की प्रथम अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट बैंक अथवा कृषि प्रयोजनों के निमित्त उधार देने के लिए गठित ऐसी कंपनी या निगम जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की हो जिसकी शेयर पूंजी का कम–से–कम पचास प्रतिशत राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा

अथवा अंशतः राज्य सरकार और अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हो, के हाथ बंधक या अंतरण करने पर कोई वर्जन न होगा।

(2) किसी चकबंदी जोत में शामिल किसी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई ऐसी डिक्री या आदेश पारित नहीं किया जायेगा जिससे कोई खण्ड सृजित हो या कोई खण्ड बच जाय।

धारा–27 भूमि अंतरण प्रतिषेध :– इस विधेयक के उपबंधों के प्रतिकूल किसी भूमि या खण्ड का अंतरण निष्फल (शून्य) होगा और इन प्रावधानों के प्रतिकूल अंतरित भूमि के मालिक को 250.00 (दो सौ पचास) रू0 तक की सीमा के अन्तर्गत वह राशि जुर्माना के रूप में देनी होगी जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन जिला समाहर्ता निर्देशित करेंगे।

धारा–28 सर्वेक्षण तथा सीमांकन के लिए भूमि पर पदाधिकारियों को जाने की शक्ति :– चकबंदी निदेशक या उसके आदेश के अधीन कार्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निवास गृह को छोड़कर किसी भी भूमि पर ऐसे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे जा सकते हैं, उस भूमि का सर्वे या माप ले सकेगा अथवा ऐसा कोई कार्य कर सकेगा जिसे वह इस विधेयक के अधीन अपने किसी कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझें।

धारा–29 लिपिकीय या गणितीय भूल की शुद्धि :– तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि चकबंदी पदाधिकारी या उप निदेशक को यह समाधान हो जाए कि इस विधेयक के किसी भी उपबंध के अधीन तैयार की गयी किसी दस्तावेज या अभिलेख को देखने से ही प्रकट कोई लिपिकीय या गणितीय भूल विद्यमान हो तो वह स्वतः या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन करने पर उसे शुद्ध करेगा।

धारा– 30 शक्तियों का प्रतिनियोजनः–

(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विधेयक के अधीन कोई भी शक्ति या कृत्य अपने किसी पदाधिकारी को जो समाहर्त्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) चकबंदी निदेशक, राज्य सरकार की मंजूरी से इस विधेयक के अधीन अपनी कोई भी शक्ति या कृत्य किसी ऐसे पदाधिकारी को प्रतिनियोजन (प्रत्यायोजित) कर सकता है जो उप समाहर्त्ता की पंक्ति से नीचे न हो।

(3) जहाँ इस विधेयक या इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन किसी पदाधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का सम्पादन किया जाना है वहाँ उससे उच्चत्तर पदाधिकारी भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का सम्पादन कर सकेगा।

धारा–31 पुनरीक्षण और निर्देश – चकबंदी निदेशक स्वेच्छा से या किसी पक्षकार के आवेदन देने पर या किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा निदेश याचना किये जाने पर संबंधित अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किसी वाद या की गई किसी कार्रवाई का अभिलेख मंगवाकर उक्त कार्रवाई की नियमितता या उक्त अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, वैधता कर सकते हैं, तथा संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देकर उस वाद या कार्रवाई में ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो उचित समझें।

धारा– 32 न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक – कोई भी दिवानी न्यायालय चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय या इस विधेयक के अन्तर्गत पारित किसी आदेश में परिवर्त्तन या उसे रद्द करने के लिए या कोई भी दूसरा ऐसा मामला जिसके लिए चकबंदी विधेयक के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी के विषय में कोई भी वाद या आवेदन ग्रहण नहीं करेगा।

धारा–33 सक्षम अधिकारिता के न्यायालय :– तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल प्रावधान के बावजूद निदेशक, चकबंदी उप निदेशक, चकबंदी, चकबंदी पदाधिकारी तथा सहायक चकबंदी पदाधिकारी को इस विधेयक के अन्तर्गत आपत्तियों या अपीलों की सुनवाई या विवादों के विनिश्चय करने में सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय माना जायेगा।

धारा– 34 विधेयक के तहत सक्षम प्राधिकार में कतिपय मामलों में व्यवहार न्यायालय की शक्तियों एवं विषेषाधिकारों का विहित होना :–

(1) चकबंदी निदेशक, उप–चकबंदी निदेशक, सहायक चकबंदी निदेशक, चकबंदी पदाधिकारी और सहायक चकबंदी पदाधिकारी को किसी विवादग्रस्त विषय की सुनवाई करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसी सभी शक्तियाँ, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं –

(क) साक्षियों को हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर अथवा अन्यथा उनकी परीक्षा करना तथा साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करनाः

(ख) किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करनाः

(ग) अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड देना।

(2) ऐसे पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई सम्मन, साक्षियों को हाजिर कराने और कोई दस्तावेज पेश करने के निमित्त विवश करने के लिए किसी सिविल न्यायालय द्वारा कार्रवाई में जारी की जा सकने वाले प्रारूपिक आदेशिका (formal process) के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और उनके समतुल्य होगा।

धारा 35 सद्भाव से किए गए कार्यों का संरंक्षण :–

इस विधेयक के अधीन या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएंगी।

धारा 36 इस विधेयक के प्रावधानों की प्रबलता :– तत्काल प्रभावी किसी अन्य कानून में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस विधेयक के उपबंध प्रभावी होंगे।

धारा 37 नियम बनाने की शक्तियाँ :–

(1) इस विधेयक के सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, नियमावली बना सकेगी।

(2) उप धारा (1) की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगीः–

(क) सूचनाओं के प्रकाशन की रीति;

(ख) प्रभावित या हितबद्ध व्यक्तियों को सूचनाएँ देने की रीति;

(ग) वह रीति जिससे चकबंदी पदाधिकारी ग्राम सभा को परामर्श करेगा;

(घ) वह रीति, जिससे कोई व्यक्ति किसी भूमि से निष्कासित किया जा सकेगा;

(ड़) वह रीति, जिससे किसी व्यक्ति से वसूलीय प्रतिकर उसके द्वारा जमा किया जायगा;

(च) पट्टा, बंधक या अन्य ऋणभार के अंतरण की बाबत चकबंदी पदाधिकारी का मार्गदर्शन;

(छ) वह रीति, जिससे प्रत्येक पुनर्गठित जोत का क्षेत्र और कर–निर्धारण (जल कर सहित, यदि कोई हो) अवधारित किया जाएगा;

(ज) ऐसे अवयस्कों के लिए अभिभावकों को नियुक्ति, जिनके हित चकबंदी कार्यवाही से प्रभावित हो सकेंगे;

(झ) वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण, आवेदन और अपील दाखिल करने, उसकी सुनवाई करने और उसे निपटाने में किया जायगा;

(ट) आवेदनों तथा अपील के ज्ञापनों पर भुगतेय फीस;

(ठ) इस विधेयक के अधीन सभी कार्यवाहियों में ग्राम सभा, चकबंदी पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन;और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता हो।